न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 32/2024 (GCMS : 2024/55)

सुखमन्दर सिंह पुत्र श्री हरबन्स सिंह जाति जटसिख निवासी चक 15 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

— — — **प्रार्थी**

बनाम

1. **निर्भय सिंह** पुत्र श्री गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी चक 15 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
2. **गुरवीर सिंह** पुत्र श्री निर्भय सिंह जाति जटसिख निवासी चक 15 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
3. **गुरप्रीत सिंह** पुत्र श्री बोहड सिंह जाति जटसिख निवासी चक 7बीएनब्ल्यू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
4. **जगदीप सिंह** पुत्र श्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 5 के के तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
5. **जसविन्द्र कौर** पत्नी गुरदीप सिह जाति जटसिख निवासी 5 के के तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
6. **पवनवीर कौर** पत्नी श्री बोहड सिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 बीएनडब्ल्यू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
7. **यादविन्द्र सिंह** पुत्र श्री जगदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 5 के के तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
8. **रमनवीर कौर** पत्नी श्री गुरदीप सिह जाति जटसिख निवासी चक 7 बीएनडब्ल्यू, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
9. **रेशम सिंह** पुत्र श्री जसवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 जी बी (बी) (दौलताबाद) तहसील श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर
10. **लवप्रीत सिह** पुत्र श्री बोहड़ सिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 बीएनडब्ल्यू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
11. **सुखलीन सिंह** पुत्र श्री गुरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 बीएनडब्ल्यू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
12. **स्वरूप सिंह** पुत्र श्री कर्म सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 जी बी (बी) (दौलताबाद) तहसील श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर

— — — **अप्रार्थीगण**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:15:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

29.04.2024

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री बलराम स्वामी एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री कुलविन्द्र सिंह एवं श्री प्रदीप सिहाग उपस्थित हुए। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि उनका प्रकरण संख्या 15/2023 अनवानी सुखमन्दर सिंह बनाम निर्भय सिंह आदि अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय विचाराधीन है, जिसमें उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर अप्रार्थी संख्या 1 ता 13 ने दबाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का आश्वासन दिया है। उपखण्ड अधिकारी अप्रार्थीगण के जानकार है। उपखण्ड अधिकारी ने पूर्व में वर्ष 18.01.2018 में अप्रार्थीगण को भूमि अलॉट की थी, जिसके विरूद्ध उनके द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में निगरानी कर रखी है।

उनका आगे यह भी कथन है कि वर्तमान पीठासीन अधिकारी ने ही उनकी जमीन का विभाजन किया है। इसलिए अप्रार्थीगण अब एलानिया कर रहे है कि हमारा निजी उपखण्ड अधिकारी आ गया है इसलिए वे उनके न्यायालय में विचाराधीन धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज करवा देगें।

उनका आगे यह भी कथन है कि पीठासीन अधिकारी संदीप कुमार अप्रार्थीगण के निजी जानकार है तथा उनके घर पर आना जाना है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने गांव में ऐलालिया कहा है कि अब पीठासीन अधिकारी हमारा निजी जानकार आ गया है इसलिए हम [illegible] उक्त प्रार्थना पत्र धारा 251क आरटीएक्ट खारिज करवा देवें। इसलिए प्रार्थी [illegible] अधिकारी, पदमपुर से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए उसकी पत्रावली को न्याय हित में अन्य किसी सक्षम अधिकारी के समक्ष मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:15:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

इसके विपरीत अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओं **ने कथन किया कि** उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को पीठासीन अधिकारी न्यायिक प्रक्रिया अनुसार निस्तारण किया जा रहा है, जिसे प्रार्थीगण जानबूझकर देरी करना चाहते है। इसलिए यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी पर उनके द्वारा कोई दबाव नही बनाया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत तरीके से प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है। समस्त तथ्य प्रार्थी ने झूठे एवं मनगढंत अंकित करवाये है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 54 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय में उनका प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) प्रकरण है और उक्त प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 54 के अन्तर्गत विचाराणीय नहीं है। इसलिए प्रार्थी का मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व पीठासीन अधिकारी के समक्ष एक मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश किया था, जो श्रीमान्‌जी के न्यायालय में 123/2023 अनवान् सुखमन्दर सिंह बनाम निर्भय सिह वगै. पेश किया था, पूर्व पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण होने के कारण दिनांक 06.03.2024 को ही खारिज किया गया है और प्रार्थी द्वारा दिनांक [illegible]03.2024 को पुनः मुंतकिली प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिससे भी प्रतीत होता है कि प्रार्थी जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को देरी करना चाहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:15:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैंने, अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त टिप्पणी दिनांक 04.04.2024 एवं पत्रावली का अवलोकन किया और उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी सुखमन्दर सिंह ने अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण अनवानी सुखमन्दर सिंह बनाम निर्भय सिंह आदि अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्यत्र मुंतकिल के लिए यह प्रार्थना पत्र, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 54 के अन्तर्गत पेश किया है। उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी में द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए, उनके न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। इस न्यायालय को उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के गुण दोष पर विचार नहीं करना है, अपितु इस न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नही,?

प्रार्थी सुखमन्दर सिंह द्वारा यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र इस आधार पर पेश किया गया है कि उपखण्ड अधिकारी–पदमपुर, अप्रार्थीगण के निजी जानकार है और पीठासीन अधिकारी, अप्रार्थीगण के दबाव में है इसलिए पीठासीन अधिकारी पर अप्रार्थीगण का दबाव होने के कारण उनसे निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा।

उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) अन्तर्गत विचारधीन है और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में भी प्रकरण मुंतकिली के प्रावधान मौजूद है फिर भी प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 54 के तहत पेश किया है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते है। इसलिए प्रार्थी का मुंतकिली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के तहत विचारणीय नहीं हो सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:15:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी सुखमन्दर सिंह ने पूर्व पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध भी अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता के समक्ष मुंतकिली प्रार्थना पत्र पेश किया था, जो तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो जाने के कारण दिनांक 06.03.2024 को खारिज किया गया था और प्रार्थी सुखमन्दर सिंह ने पुनः वर्तमान पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र दिनांक 21.03.2024 को पेश कर दिया है, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी को किसी भी पीठासीन अधिकारी पर विश्वास नहीं है अथवा जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र पेश किया है।

उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी स्वयं ने प्रकरण प्रस्तुत किया हुआ है और पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी को मौका पर रास्ता चल रहा था, के लिए मौका की यथास्थिति के आदेश भी दिये है इससे पीठासीन अधिकारी पर अप्रार्थीगण का दबाव और पीठासीन अधिकारी की मंशा कैसे पता चलती है? दूसरा अगर वर्तमान पीठासीन अधिकारी पर अप्रार्थीगण के दबाव होने सम्बन्धी कथन, यदि तर्क के लिए सही मान भी लिया जावे तो ऐसा दबाव होने सम्बन्धी आरोप जिले के अन्य सक्षम पीठासीन अधिकारियों पर भी लगाया जा सकता है। मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार होना चाहिए। प्रार्थी द्वारा लगाया गया आरोप साधारण प्रकृति का है जो कभी भी किसी पर किसी भी समय लगाया जा सकता है।

न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 2009(16) पेज 475 में तो यहां तक कहा गया है कि यदि दोनों पक्ष सहमत हो तो भी प्रकरण स्थानान्तरित नहीं करना चाहिए। प्रकट किया गया अभिमत निम्न प्रकार है:

Transfer of case : Transferring a case without sufficient or adequate reasons even on the basis of consent or convenience of the parties, case cannot be transferred to another Court.

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:15:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र फौरी कारणों से मात्र कयास के आधार पर निर्णित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे न्यायिक व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है एवं पीठासीन अधिकारी की साख में कमी आती है। किसी पक्षकार की आशंका मात्र से यदि प्रकरण मुन्तकिल किया जावे तो अदालतों की विश्वसनीयता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है, जो न्यायहित में उचित नहीं कहा जा सकता। बिना ठोस आधार के प्रकरण को एक अदालत से दूसरी अदालत में मुन्तकिल नहीं किया जा सकता। उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र में किसी प्रकार का कोई बल नहीं होने के कारण इसे खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि **दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करें तथा इस सिद्वान्त को कि 'केवल न्याय होना ही नहीं चाहिए, परन्तु न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए''** को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित करना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को भिजवाई जाये। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:15:40 IST
Reason: SelfAttested